

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक-.....

सं०- 9/स्था०विविध-32/2013 का०...../ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 की सं०-22) के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में इस विभाग से याचना के आधार पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के निमित्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत अगले आदेश तक श्री अजय कुमार झा, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को जन सूचना पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा नामित किया जाता है।

2. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह अधिसूचना दिनांक-01.02.2018 से प्रभावी होगी।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 9/स्था०विविध-32/2013 का० 854/ राँची, दिनांक-30.01.2018

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के उप सचिव/मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री अजय कुमार झा, अवर सचिव/सभी विभागीय सहायक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव